भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2137

दिनांक 04.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल योजनाएं

2137. श्रीमती दिया कुमारीः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित अथवा राज्य सरकारों के साथ भागीदारी वाली पेयजल योजनाओं की कुल संख्या कितनी है;
(ख) केंद्र सरकार के पास लंबित पड़े प्रस्तावों की संख्या कितनी है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ग) चंबल–भीलवाड़ा जल आपूर्ति परियोजना का स्वरूप क्या है तथा क्या इस परियोजना को राजसमंद जिले के निकटवर्ती गांवों तक विस्तारित करने का कोई विचार है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 30.06.2019 तक की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा 25361 स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं जिनके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत निधियाँ जारी की गई हैं।

(ख) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए प्रस्ताव, अनुमोदन के लिए इस मंत्रालय में नहीं आते हैं। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति इन स्कीमों का अनुमोदन करती है।

(ग) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, पेयजल आपूर्ति के लिए चंबल-भीलवाड़ा जल आपूर्ति परियोजना, जिला भीलवाड़ा के 9 नगरों, 1688 गांवों तथा जिला बूंदी के 23 गांवों के लिए स्वीकृत की गई है। राजसमंद जिले की जल की मांग का संस्वीकृत चंबल-भीलवाड़ा जल आपूर्ति परियोजना में शामिल नहीं किया गया है।